फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्री मनीष कुमार शर्मा पिता शंभूदयाल शर्मा निवासी प्रतापपुरा तह. फुलेरा बनाम सरकार

प्र.सं. 78/2019 (रे.वि.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.02.2020	पत्रावली पेश हुई। अभियोजन अधिकारी एवं अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने जब्तशुदा वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताते हुए जमानत एवं सुपुर्दगी पर, न्यायालय द्वारा विहित शर्तो पर वाहन संख्या RJ 14 GH 2143 बोलेरो केम्पर पिकअप को वाहन स्वामी को सुपुर्द करने हेतु निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी का मुख्य कथन यह रहा कि वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजों के आधार पर निवेदन किया कि उक्त जब्तशुदा वाहन RJ 14 GH 2143 बोलेरो केम्पर पिकअप वाहन स्वामी श्री मनीष कुमार शर्मा निवासी राजपूतों का मौहल्ला, प्रतापपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर के नाम है तथा थानाधिकारी थाना सदर, चित्तौड़गढ़ एवं उक्त प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने भी जब्तशुदा वाहन RJ 14 GH 2143 बोलेरो केम्पर पिकअप की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया है। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड से निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि जब्तशुदा वाहन RJ 14 GH 2143 बोलेरो केम्पर पिकअप वाहन स्वामी श्री मनीष कुमार पिता शंभूदयाल शर्मा निवासी प्रतापपुरा, तहसील फुलेरा का है एवं जब्तशुदा वाहन RJ 14 GH 2143 बोलेरो केम्पर पिकअप की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया है। अतः जब्तशुदा वाहन RJ 14 GH 2143 बोलेरो केम्पर पिकअप को 4,00,000/- अक्षरे चार लाख रूपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। (चेतन देवड़ा) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.02.2020	पत्रावली सिगह से तलब करने पर पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने 4,00,000/- अक्षरे चार लाख रूपये का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत कराया। चूंकि वाहन संख्या RJ 14 GH 2143 बोलेरो केम्पर पिकअप की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त वाहन को वाहन स्वामी श्री मनीष कुमार पिता शंभूदयाल शर्मा निवासी राजपूतों का मौहल्ला, प्रतापपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर को विहित शर्तो पर सुपुर्द करने के आदेश दिए जाते हैं। थानाधिकारी, थाना सदर, चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न हो तो वाहन स्वामी को सुपुर्द कर रसीद इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्रस्तुत जमानतनामा वाहन संख्या RJ 09 CC 2284 मारूति बेलेनो बाबत पेश किया। अतः जिला परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि इस न्यायालय की अनुमति के बिना इसके स्वामित्व हस्तान्तरण या रहन या अन्यथा ट्रान्सफर की अनुमति प्रदान नहीं की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल प्रकरण संख्या 17/2019 (रसद) निर्णय दिनांक 04.02.2020 के संलग्न की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चेतन देवड़ा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

चेतन देवड़ा
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़